# समाहरणालय, मधुबनी।

## (जिला पशुपालन विभाग)

अल्पकालीन निविदा संख्या– 01/वर्ष : 2020

संभावित बाढ़/सुखाड़ 2020 से प्रभावित होने वाले पशुओं को सूखा चारा/चोकर की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठान एवं आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक 12.06.2020 के अपराह्ण 1:00 बजे तक मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को उसी दिन अपराह्ण 2:30 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें सभी निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

–: सामग्रियों का विवरण :–

सूखा चारा (गेहूँ का भूसा/कुट्टी)– चोकर (मकई/गेहूँ) – दर प्रति क्विंटल

(मधुबनी जिला के बाढ़/सुखाड़ प्रभावित स्थलों तक पहुँचाने का सभी टैक्स एवं परिवहन व्यय सहित)

**निविदा हेतु शर्त :–**

1. निविदा के रूप में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग–अलग शिल्ड लिफाफा में जमा करना होगा एवं लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफा अंकित रहेगा।
2. तकनीकि निविदा में योग्य पाये जाने वाले निविदा दाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
3. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

**तकनीकि निविदा की शर्ते :–**

1. तकनीकि निविदा में फार्म का निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की छायाप्रति एवं फर्म का नाम कभी काली सूची में दर्ज नहीं है, के संबंध में शपथ पत्र देना होगा।
2. निविदा दाता को जमानत राशि के रूप में मो0– 5,000=00 (पॉच हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधुबनी के पक्ष में देय होगा जो भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, मधुबनी पर भुगतेय होगा, तकनीकि लिफाफा के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदा खुलने के दिन ही निविदा दाताओं को आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का नमूना उल्लेखित दर के अनुरूप देना होगा तथा नमूना में दिखाया गया सामग्री ही आपूर्ति करनी होगी। नमूना संतोषप्रद नहीं होने पर इसे अस्वीकृत करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा, चाहे निविदा दाता का दर न्यूनतम ही क्यों न हों।

**वित्तीय निविदा की शर्ते :–**

1. निर्धारित मानकों के अनुरूप आपूर्ति किये जाने वाले सूखा चारा/चोकर का आपके फर्म का न्यूनतम दर सभी कर एवं परिवहन व्यय सहित अंकित होगा।

**निविदा की अन्य शर्ते :–**

1. निविदा दाताओं में से स्वीकृत निविदा दाता को एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश मिलने के एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत नमूना के अनुरूप चारे की आपूर्ति निश्चित रूप से करना होगा।
2. निविदा में अंकित मूल्य पर जिला में किसी स्थानों पर समानों की आपूर्ति करनी होगी तथा निविदा में स्वीकृत दर पूरे वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़/सुखाड़ 2020 एवं पशु क्रूरता तथा पशु तस्करी के क्रम में पकड़े गए पशुओं के चारा–दाना के लिए अनुमान्य होगी।
3. स्वीकृत निविदा दाता को छोड़कर शेष की जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
4. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत या स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
5. इस निविदा से संबंधित जानकारी madhubani.bih.nic.inपर भी देखा जा सकता है।
6. कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व सफल निविदादाता को निविदा निष्पादन के दो दिनों के अन्दर उपर्युक्त शर्तो के आधार पर एकरारनामा भी करना होगा।

1/6/2020

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

11/6/2020

जिला पशुपालन पदाधिकारी
मधुबनी

Scanned with CamScanner